

B. Com. (Part II) EXAMINATION, 2020

(Group—I:

Paper Second
COMPANY LAW

Maximum Marks: 75

नोट: सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt all the *five* questions. One question from each Unit is compulsory. All questions carry equal marks.

इकाई—1

(UNIT-1)

 एक सार्वजनिक कम्पनी के निर्माण हेतु प्रवर्तन से लेकर व्यवसाय प्रारम्भ तक एक प्रवर्तक के रूप में आप क्या-क्या कदम उठायेंगे, संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Describe the legal formalities that are to be complied with under Indian Companies Act regarding the formation of a Public Company (Promotion to Commencement of Business).

(A-34) P. T. O.

अथवा

(Or)

एक प्राइवेट कम्पनी की परिभाषा दीजिए। प्राइवेट और पब्लिक कम्पनी में भेद बताइए।

Define a Private Company. Distinguish between a Private Company and Public Company.

इकाई—2

(UNIT-2)

2. "पार्षद सीमानियम कम्पनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है।" स्पष्ट कीजिए। इसे कैसे परिवर्तित किया जा सकता है ?

"Memorandum of Association is the most important Charter of Company." Discuss. How it can be altered?

अथवा

(Or)

अंश किसे कहते हैं ? कम्पनी विभिन्न प्रकार के जो अंश जारी कर सकती है, उनका वर्णन कीजिए।

What is a Share? Describe the various types of shares that can be issued by a company.

इकाई—3 (UNIT—3)

बंधक क्या है ? बंधक तथा प्रभार में अन्तर बताइए।

The state of the

What is Mortgage? Explain the difference between mortgage and charge.

अथवा

(Or)

प्रबन्ध संचालक, पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का वर्णन कीजिए।

Describe the appointment and remuneration of Managing Director and whole time director.

(A-34)



इकाई---4

(UNIT-4)

 प्रति-प्रतिनिधि की परिभाषा दीजिए। प्रति-प्रतिनिधि की नियुक्ति कौन कर सकता है ? प्रति-प्रतिनिधि के अधिकारों का वर्णन कीजिए।

Define Proxy. Who appoints Proxy? Describe the rights of Proxy.

अथवा

(Or)

असाधारण आम सभा क्या है ? यह कब बुलाई जा सकती है ? What is an Extraordinary General Meeting ? When can it be called ?

इकाई—5 (UNIT—5)

5. अन्याय एवं कुप्रबन्ध रोकने के लिए कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं ? इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के क्या अधिकार हैं ?
Who may apply for preventing oppression and mismanagement ? What are the powers of the Central Government in this connection ?

अथवा

(Or)

कम्पनी के समापन से क्या आशय है ? कम्पनी के समापन एवं कम्पनी के विघटन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

What do you mean by Winding-up of a Company? Explain the difference between winding-up and dissolution of a company.